an>

Title: Issue regarding between murder of railway engineer in Kharagpur.

श्री चिराग पासवान (जमुई) : अध्यक्ष महोदया, पिछली बार मैंने भारतीय सेना में नियुक्त महाराष्ट्र के नांदेड जिले के रहने वाले हवलदार लक्ष्मण मनसोडे जी की मां की निर्मम हत्या का मामला उठाया था। उस मामले में न्याय का इंतजार आज भी है।

मैं आज इस सदन के साथ ऐसी कहानी साझा करना चाहता हूं, जिसमें न्याय की गुहार भी है और जिसमें जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों की वाजिब अपेक्षाएं पूरी करने में मेरी सीमाओं से मेरा परिचय कराया है।

मैडम, यह कहानी सौरभ की है, जो होनहार और ईमानदार था। उसने देश के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा और हित को दांव पर लगाया और नतीजा उसकी मौत के रूप में सामने आया। यह कहानी उसके मां-बाप की भी है और हमारी व्यवस्था की भी है, जिसने कमजोरों को न्याय दिलाना और भी ज्यादा दुर्लभ कर दिया।

मैडम, सौरभ ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीआईटी, सिन्दरी में की थी। वह मेधावी, मेहनती और बहुत ही सहज प्रकृति का माना जाता था।पढ़ाई के बाद उन्होंने टाटा कन्सलटेंसी सर्विस ज्वाइन की और इसके बाद भारतीय रेल में ज्वाइन किया। वह अपनी मौत से पहले वह खड़गपुर में डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर थे। सौरभ अगर आज हमारे बीच में होते तो 31 साल के होते लेकिन पिछले साल 22 सितंबर, 2015 को उनकी मौत हो गई। उनके माता-पिता को इसकी जानकारी हादसे के तीसरे दिन मिली। सौरभ के शरीर पर चोट के स्पष्ट और गहरे निशान मौजूद थे जो कि वहां की स्थानीय पुलिस को नहीं दिखे थे। बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और कह दिया गया कि सांप के डसने की वजह से मौत हुई है। आनन-फानन में फाइल बंद कर दी गई और एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। लेकिन सौरभ के परिवार को पुलिस की यह थ्योरी मंजूर नहीं थी क्योंकि इस घटना पर कई ऐसे सवाल थे जिनके बारे में उनके परिवार, माता-पिता और दोस्त आज भी पूछ रहे हैं। इन्हीं सवालों का नतीजा यह हुआ कि दस दिन बाद कम से कम एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन छः महीने बीत जाने के बाद मामला जस का तय पड़ा हुआ है और जांच कहीं नहीं पहुंच पाई है।

पहला सवाल है कि सौरभ के शरीर पर जख्मों के गहरे निशान होने के बावजूद इसे क्यों नजर अंदाज किया गया? दूसरा सवाल है कि मौत के तीन दिन बाद सौरभ की डैड बॉडी उनके सरकारी आवास से उनके पड़ोसियों को तो मिलती है लेकिन उनके डिपार्टमेंट ने अपने सीनियर स्टाफ की सुध तीन दिन तक नहीं ली। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि इतने दिन बीत जाने के बाद कोलकाता की सीएफएसएल ने मृतक की रिपोर्ट अभी तक सब्मिट क्यों नहीं की?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं हत्या के बाद सौरभ के परिवार से मिला। बिहार के वैशाली जिला में रहने वाले सौरभ के पिता सुरेश जी ने बताया कि सौरभ को रेलवे के स्क्रैप मैटीरियल के टैंडर के आबंटन की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपने पिता को यह भी बताया था कि स्क्रैप मैटीरियल माफिया का दबाव उनके ऊपर बन रहा था। उन्होंने पिता से विवाद में हो रही धांधली को उजागर करने के संकल्प के बारे में भी बताया था। बहरहाल स्थानीय पुलिस अभी भी स्नेक बाइट की थ्योरी को गलत नहीं मान रही है। लिहाजा कातिलों तक पहुंचना तो दूर इन्वेस्टिगेशन में उन्हें बचाने की कोशिश भी की जा रही है। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले कई महीने से मैंने सीबीआई जांच को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा। आदरणीय गृह मंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को इस संदर्भ में पत्र लिखा। यह विषय हर फोरम में उठाया लेकिन नतीजा कहीं नहीं पहुंचा है। इसलिए अंत में, आपके माध्यम से मैं सदन में इस मसले को उठाकर सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि सौरभ मामले को दबाने के हर संभव प्रयास को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच सीबीई से कराई जाए।

माननीय अध्यक्ष :

डॉ मनोज राजोरिया,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री रोड़मल नागर,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

श्री अजय मिश्रा को श्री चिराग पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।